चित्रकूट-पुलिस

(1). नारी सुरक्षा, नारी सम्मान, नारी स्वालंबन, महिला सशक्तिकरण, महिला कल्याण एवं बाल विकास के प्रति चलाये जा रहे “मिशन शक्ति अभियान-4” के तत्वाधान में जनपद के समस्त थानों की एण्टी रोमियों टीमों/‘‘शक्ति दीदी’’ द्वारा विभिन्न सार्वजनिक स्थल एवं ग्रामों में भ्रमण कर महिला एवं बालिकाओं को महिला सुरक्षा सम्बन्धी उपायों के प्रति जागरुक किया गया।

“मिशन शक्ति अभियान-4” व ‘‘शक्ति दीदी’’ अभियान के तहत आज दिनांक 27.11.2024 को पुलिस अधीक्षक चित्रकूट श्री अरूण कुमार सिंह के निर्देशन में जनपद में नोडल अधिकारी मिशन शक्ति क्षेत्राधिकारी राजापुर श्रीमती निष्ठा उपाध्याय के पर्यवेक्षण में समस्त थाना क्षेत्रो में एण्टी रोमियों टीमों द्वारा विभिन्न सार्वजनिक स्थलों एवं ग्रामो में भ्रमण किया गया । महिलाओं/बालिकाओँ को “मिशन शक्ति” व ‘‘शक्ति दीदी’’ के सार्वजनिक स्थलो जैसे-चौराहे, बाजारों को असामाजिक तत्वों से मुक्त कराये जाने तथा महिलाओ एवं बालिकाओं के साथ राह चलते छेडखानी, अभद्रता, अश्लील प्रदर्शन तथा अभद्र टिप्पणियाँ इत्यादि की घटनाओं को रोकने के लिये जागरुक किया गया तथा महिला/बालिकाओं को सुरक्षा संबंधित सेवाएँ जैसे यू0पी0-112 नम्बर/वूमेन पावर लाइन 1090/यूपी कॉप एप/181 महिला हेल्प लाइन/1076 मुख्यमंत्री हेल्प लाइन/1098 चाइल्ड हेल्प लाइन/102 स्वास्थ्य सेवा/108 एम्बूलेन्स सेवा/1930 साइबर हेल्पलाइन के बारे में जानकारियां दी गई । इस दौरान उपस्थित महिलाओं/बालिकाओं को अवगत कराया गया कि सभी थानों में महिलाओ की सुरक्षा/सहायता हेतु एक महिला हैल्पडेस्क बनाया गया है, जहाँ पर महिला पुलिसकर्मी द्वारा महिलाओं की शिकायत सुनी जाती है तथा समय से उनका निस्तारण किया जाता है । इसके साथ ही मौजूद महिलाओं/बालिकाओं को महिला सुरक्षा सम्बन्धी चलायी जा रही हेल्पलाइन नम्बरों के सम्बन्ध में पंपलेट वितरित करते हुए विस्तार से जानकारी देने के साथ ही सभी महिलाओं/बालिकाओ को हेल्पलाइन नम्बर का निर्भीक होकर उपयोग करने हेतु तथा महिलाओ को आत्मनिर्भर बनने व निर्भीक होकर अपने अपने क्षेत्र में कार्य करने/शिक्षा ग्रहण करने के लिये प्रेरित किया गया तथा सोशल मीडिया पर अपनी प्राइवेसी रखते हुये उसका प्रयोग करने के लिये कहा गया । इसी क्रम में महिलाओं/बालिकाओ को जनपद में गठित “एंटी रोमियो स्क्वायड” टीम के बारे में अवगत कराया गया तथा बताया गया कि सादे वस्त्रों में तथा प्राइवेट वाहनों से सार्वजनिक स्थलों यथा- स्कूल, कालेज व कोचिंग संस्थान के आसपास व ऐसे स्थान जहाँ पर महिलाओ एवं बालिकाओ का अधिकतर आवागमन होता है उनको भौतिक रुप से चिन्हित कर शोहदो/मनचलो के द्वारा Eve Teasing इत्यादि आपत्तिजनक हरकतो को रोकने के उद्देश्य से सघन चैकिंग कर लोगो से पूछताछ की जाती है व अनावश्यक रुप से मौजूद शोहदो/मनचलो को हिदायत/कार्यवाही की।

(2). आज दिनाँक 27.11.2024 को पुलिस अधीक्षक चित्रकूट श्री अरुण कुमार सिंह निर्देशन में चित्रकूट पुलिस द्वारा आगामी त्योहार के दृष्टिगत शान्ति एवं सुरक्षा व्यवस्था सुदृण बनाये रखने हेतु थाना/चौकी प्रभारियो द्वारा थाना/चौकी क्षेत्र के मिश्रित आबादी क्षेत्र एवं भीड़ भाड़ वाले स्थानों पर पैदल गस्त किया गया। पुलिस टीमों द्वारा दुकानदारों, व्यापारीबंधुओँ एवं क्षेत्रीय नागरिको से वार्ता कर सुरक्षा का भरोसा दिलाया। पैदल गस्त के दौरान पुलिस टीम द्वारा सरकारी शराब की दुकानों को चेक किया गया एवं 02/04 पहिया वाहनों की चेकिंग की गयी।

(3). गुमशुदा का नाम- श्वेता सोनी पुत्री सन्तोष कुमार सोनी निवासी सोनरहटी मोहल्ला थाना राजापुर जनपद चित्रकूट उम्र लगभग 24 वर्ष।

विवरण-

दिनाँक-23.11.2024 को श्री सृजन सोनी पुत्र सन्तोष कुमार सोनी निवासी सोनरहटी मोहल्ला थाना राजापुर जनपद चित्रकूट द्वारा थाना राजापुर में सूचना दी गयी की दिनाँक 23.11.2024 को बहन द्वारा पिताजी को निमंत्रण में जाने से मना करना तथा पारिवारिक लोगों के कहें जाने पर निमंत्रण में जाना इसी बात को लेकर नाराज होकर घर से बिना बताये कही चले जाना । काफी खोजबीन की गयी लेकिन नही मिली । इस सूचना पर थाना राजापुर में गुमशुदगी दर्ज की गयी है।

हुलिया – इकहरा मजबूत जिस्म, गोरा रंग, आंख, नाक, कान औसत

लम्बाई- करीब 05 फीट 03 इंच

पहनावा- बैगनी कलर सूट व काला कलर का पैजामा,पैरो में साधारण स्लीपर काला रंग की

कृपया उपरोक्त गुमशुदा के सम्बन्ध में किसी भी प्रकार की सूचना प्राप्त होने पर निम्नलिखित नम्बरों पर सूचना देने का कष्ट करें ।

क्षेत्राधिकारी राजापुर- 9305101114/9454401358

प्रभारी निरीक्षक थाना मानिकपुर- 9305101108/9454403211

(4). पुलिस अधीक्षक चित्रकूट श्री अरुण कुमार सिंह के निर्देशन में नोडल अधिकारी मिशन शक्ति/क्षेत्राधिकारी राजापुर श्री जयकरन सिंह के पर्यवेक्षण में अपराध निरीक्षक मऊ श्री अभयराज सिंह व थाना मऊ की एण्टीरोमियों टीम द्वारा मऊ बालिका इंटर कॉलेज जनपद चित्रकूट में छात्राओं को मिशन शक्ति,बाल विवाह, साइबर अपराध व यातायात नियमों के सम्बन्ध में जागरूक किया गया । अपराध निरीक्षक एवं एण्टीरोमियों टीम द्वारा स्कूल में मौजूद छात्राओं को मिशन शक्ति के उद्देश्य को बताकर छात्रओं को सुरक्षा संबंधित सेवाएँ जैसे यू0पी0-112 नम्बर/वूमेन पावर लाइन 1090/यूपी कॉप एप/181 महिला हेल्प लाइन/1076 मुख्यमंत्री हेल्प लाइन/1098 चाइल्ड हेल्प लाइन/102 स्वास्थ्य सेवा/108 एम्बूलेन्स सेवा/1930 साइबर हेल्पलाइन के बारे में जानकारियां दी गई। इस दौरान उपस्थित छात्रओं को बाल विवाह से होने वाली कमियों को बताकर बाल विवाह रोकने हेतु प्रेरित किया गया । देश में बढ़ रहे साइबर अपराध के बारे में अवगत कराया गया कि यदि की भी व्यक्ति द्वारा साइबर अपराध होता है तो तत्काल 1930 पर काल कर सम्बन्धित थाने के साइबर हेल्प डेस्क पर प्रार्थना पत्र दे। तत्पश्चात यातायात नियमों संकेत सिग्नल, ओवर स्पीडिंग न करें, दो पहिया वाहन चलाते समय सदैव हेलमेट का प्रयोग व तीन सवारी को न बैठाने, चार पहिया वाहन चलाते समय सीट बेल्ट का प्रयोग, सड़क पर वाहन चलाते समय स्टंट/खतरनाक ड्राइविंग न करने, दुर्घटना में घायल व्यक्ति की तुरंत मदद करने, नशे की हालत में वाहन न चलाने,लेन ड्राइविंग व अत्यधिक तेज हार्न का प्रयोग न करने, वाहन चलाते मोबाइल फोन का प्रयोग न करने, कोहरा के समय फोग लाइट का प्रयोग करने, गलत तरीके से ओवर टेकिंग न करने, दाएं बाएं मुड़ते समय इंडिकेटर का प्रयोग करने के साथ साथ सड़क दुर्घटनाओं में कमी लाने हेतु बताया गया ।

(6). श्रीमान पुलिस महानिदेशक उ0प्र0 के निर्देशन में चलाये जा रहे ऑपरेशन कन्विक्शन के तहत माननीय न्यायालय में लम्बित चल रहे वादों में गहन पैरवी कर अपराधियों को अधिक से अधिक सजा कराने हेतु पुलिस अधीक्षक चित्रकूट श्री अरुण कुमार सिंह द्वारा दिये गये निर्देशों के अनुपालन में प्रभारी निरीक्षक थाना राजापुर श्री मनोज कुमार एवं पैरोकार आरक्षी संजीव द्वारा की गयी गहन पैरवी एवं सहायक अभियोजन अधिकारी श्री पीयूष कुमार यादव द्वारा की गयी प्रभावी प्रस्तुति एवं प्रभावी बहस के फलस्वरूप माननीय न्यायाधीश सिविल जज (सी0डि0) श्री सचिन दीक्षित द्वारा आज दिनांक 27.11.2024 को थाना राजापुर में पंजीकृत मु0अ0सं0 35/2018 धारा 60 आबकारी अधिनियम के आरोपी अभियुक्त मत्ता उर्फ गया प्रसाद पुत्र रामचन्द्र निवासी सोतीपुरवा थाना राजापुर जनपद चित्रकूट को न्यायालय उठने तक की सजा व 1000/- रूपए के अर्थदण्ड से दंडित किया गया।

(7). श्रीमान पुलिस महानिदेशक उ0प्र0 के निर्देशन में चलाये जा रहे ऑपरेशन कन्विक्शन के तहत माननीय न्यायालय में लम्बित चल रहे वादों में गहन पैरवी कर अपराधियों को अधिक से अधिक सजा कराने हेतु पुलिस अधीक्षक चित्रकूट श्री अरुण कुमार सिंह द्वारा दिये गये निर्देशों के अनुपालन में प्रभारी निरीक्षक रैपुरा श्री श्यामप्रताप पटेल एवं पैरोकार आरक्षी हेमन्त कुमार द्वारा की गयी गहन पैरवी एवं सहायक अभियोजन अधिकारी श्री हरिओम सिंह द्वारा की गयी प्रभावी प्रस्तुति एवं प्रभावी बहस के फलस्वरूप माननीय न्यायालय न्यायिक मजिस्ट्रेट प्रथम चित्रकूट सुश्री अंजुलिका प्रियदर्शिनी द्वारा आज दिनांक 27.11.2024 को थाना रैपुरा में पंजीकृत एनसीआर नं0 130/2014 धारा 323,504,506 भादवि0 के आरोपी अभियुक्त 1. रमाकान्त पुत्र रामभवन 2. मुकेश पुत्र उमाकान्त 3. भीम पुत्र रमाकान्त 4. अरविन्द पुत्र रमाकान्त निवासीगण गणवारा थाना रैपुरा जनपद चित्रकूट को 3000-3000 रुपये के अर्थदण्ड से दण्डित किया गया।

(8). आज दिनांक 27.11.2024 को पुलिस अधीक्षक चित्रकूट श्री अरुण कुमार सिंह के कुशल निर्देशन में जनपद सम्भल में हुई घटना व जनपद चित्रकूट में मा0 मुख्यमंत्री उत्तर प्रदेश सरकार जी के आगमन के दृष्टिगत कोतवाली कर्वी शहर के विभिन्न स्थान धनुष चौराहा, लक्ष्मणपुरी,एलआईसी तिराहा,कालीदेवी चौराहा,भगवानदीन चौराहा एवं थाना मऊ के एकलब्य नगर,कस्बा मऊ,शर्राफा बाजार,यमुना रोड में ड्रोन कैमरे से निगरानी की गयी कोई आपत्ती जनक वस्तू नही दिखाई देना प्रतीत हुआ।